उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0–06344–227067
मो0 नं0–8544429975
E-mail : dyeo.munger@yahoo.co.in

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर
कार्यालय दूरभाष सं0– 06344–222402
आवासीय दूरभाष सं0– 06344–222401
E-mail: dm-munger.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी एवं मुद्रण तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा शर्त्ते

मुंगेर जिला अन्तर्गत तीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के ERO NET Portal पर फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण के फलस्वरूप प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची के Generation, मुद्रण, प्रतिवेदन निर्माण, चेकलिस्ट मुद्रण इत्यादि तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप रंगीन पी0वी0सी0 मतदाता फोटोपहचान पत्र का निर्माण कराये जाने से संबंधित सभी गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए न्यूनतम दर निर्धारण हेतु सक्षम, तकनीकी रूप से अनुभवी एवं दक्ष सर्विस प्रोवाईडर/फर्म से द्विलिफाफा पद्धति का अनुसरण करते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्त्ते एवं संलग्न विहित प्रपत्र (Annexure- 1 & Annexure – 2) दिनांक **07.09.2020** तक किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय अविध में जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर में ₹1000/- (एक हजार) रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। अनुभवी एवं योग्य फर्म जो अधोअंकित शर्त्तो को पूरा करते हों, एक लिफाफा में तकनीकी निविदा को सीलबंद कर तथा दूसरे लिफाफा में वित्तीय निविदा को सीलबंद कर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर अंतिम रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर में दिनांक **08.09.2020** के **03:00** बजे अप0 तक डाक द्वारा प्रेषित अथवा हाथों–हाथ जमा कर सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाएँ दिनांक **08.09.2020** को **04:00** बजे अप0 में जिला क्रय समिति के समक्ष समाहरणालय सभाकक्ष, मुंगेर में खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी स्थिति मं निविदा प्राप्त नहीं किया जाएगा। भले ही वह डाक से ही क्यों नहीं आये।

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्ते :-

1. निविदादाताओं को GST (Goods & Service Tax) के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. फर्म को जिला उद्योग एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. फर्म को आयकर संख्या (PAN) का प्रमाण–पत्र देना होगा तथा विगत तीन Financial वर्षो (2016–17, 2017–18, 2018–19 Financial Year) का आयकर विवरणी देना होगा।
4. फर्म को तीन वित्तीय वर्षों तथा 2016–17, 2017–18, 2018–19 में IT एक्ट की धारा 44AB के तहत दाखिल आयकर विवरणी के अनुरूप प्रत्येक वर्ष एक करोड़ टर्नओवर का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा।
5. Employees Provident Fund Organisation (EPFO) एवं Employees State Insurance Corporation (ESIC) के अन्तर्गत तीन वर्ष पूर्व का निबंधित होना अनिवार्य है।
6. निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, योग्यता अनुभव के साथ देनी होगी।
7. निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में ₹1,00,000/- (एक लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदा प्रकाशित होने की तिथि के बाद निर्गत हो, को जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना।
8. निविदादाता फर्म को बिहार के किसी तीन जिले में फोटो निर्वाचक सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य ERMS/ERO Net के माध्यम से करने का कम से कम विगत तीन वर्षो के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है। इसके लिए जिला द्वारा निर्गत

प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सब कांट्रेक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

9. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण-पत्र किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना तथा कम से कम 16 कम्प्यूटर्स, 1 जेनरेटर, यू0पी0एस0, उच्च कोटि एवं हाई स्पीड का 8 प्रिंटर्स तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाए गये संसाधन की समीक्षा/भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।

11. आवंटित कार्य के सब कांट्रेक्ट की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी। इस आशय का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय सब कांट्रेक्ट यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

12. फोटो निर्वाचक सूची निर्माण के क्रम में A4 साईज का 75 GSM पेपर पर लेजर जेट प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने हेतु सिर्फ ऑरिजनल कार्टिज का प्रयोग करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

13. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्धारित Specifications के अनुरूप अर्हत्ता तिथि 01.01.2020 के आधार पर निर्वाचक सूची की अंतिम प्रकाशन के उपरान्त सभी नव पंजीकृत निर्वाचकों को पी0भी0सी0 रंगीन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा पुराने निर्वाचकों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर नियामानुसार निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर ही पी0भी0सी0 रंगीन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। इस आशय का Undertaking देना होगा तथा पी0भी0सी0 का नमूना तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी0भी0सी0 प्रिंटेड रंगीन कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियाँ मुख्यतः निम्नवत है :-
    (a) Card Type : All new cards will be printed on PVC Sheet with colour photograph
    (b) Card Size : 8.6 cm vertical and 5.4 cm horizontal
    (c) Thickness : 0.6 mm to 0.8mm
    इसके साथ Manual on Electoral Roll – 2016 के अध्याय-14 के अनुसार विशिष्टियाँ होगी।

15. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजीटल छायाचित्रों (JPEG Format) के माध्यम से निर्मित किये जायेंगे। निर्धारित डिजीटल फॉरमेट में रंगीन छायाचित्र भी जिला निर्वाचन कार्यालय को एक डिलिवरेबल (One of the Deliverable) होगा। छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत होगी :-
    (a) Size of Photographs : 3.2 cm vertical and 2.4 cm horizontal
    (b) Resolution : 320 pixels X240 pixels
    (c) High Quality Photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

16. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेपर प्रिंटेड ब्लैक एंड व्हाईट EPIC के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियाँ निम्नवत् है :-
    (a) Paper Quality for indentify card shall not be less than 100 GSM milky white paper. The EPIC shall be produced by single side printing on paper at folding six cards will be printed on A4 size Paper.
    (b) Lamination Pouch for indentity card 125 Micron (75 Micron Polyster 50 Micron Polymes, Transparent & Colourless)

(c) Card Size 8.4 cm vertical and 5.0 cm horizontal.

17. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण में उपयोग में लाये जाने वाले कागज का नमूना तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
18. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ERO Net के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19. मतदाता फोटो पहचान पत्र मात्र निर्वाचक सूची डाटाबेस से केवल ऑनलाईन ही निर्मित किये जायेंगे।
20. फर्म द्वारा प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटर में Licensed Operating System एवं Anti Viurs Software होना अनिवार्य है। इसके संबंध में शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
21. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण/फोटो मतदाता पहचान-पत्र के लिए फर्म को भारत निर्वाचन आयोग/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप कार्य करने संबंधी Under Taking देना होगा।
22. निविदादाता के फर्म का किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची (Blacklisted) में नहीं होने का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
23. तकनीकी निविदा में दिये गये शर्त्तों का पालन करने वाले फर्म का ही वित्तीय निविदा (जो सीलबंद होनी चाहिए) जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।
24. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख-रेख में हटाना होगा।
25. चयनित फर्म को मतदाता सूची/फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु एकरारनामा करने के पूर्व बैंक गारंटी के रूप में ₹1,00,000/- (एक लाख) रूपये जमा करना होगा।
26. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्धारित अवधि/शर्त्तों/निदेश के अनुरूप कार्य नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी की राशि एवं सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. फर्म को सभी कार्य जैसे- डाटा इन्ट्री, लेजर प्रिंटिंग, फोटो पहचान पत्र निर्माण, आदि हेतु आवश्यक संशाधन यथा Internet Connectivity, विद्युत/जेनरेटर, कम्प्यूटरर्स, यू0पी0एस0 उच्च कोटि एवं हाई स्पीड प्रिंटस QR Code Printer, Pdf Scanner एवं लेमिनेशन मशीन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
28. निविदादाता को फोटो मतदाता सूची एवं फोटो पहचान पत्र निर्माण संबंधी सभी कार्य जिला मुख्यालय में करना होगा तथा जिला में एक प्रतिनिधि को स्थायी रूप से रखना होगा, जो उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य का निष्पादन करायेंगे। इस हेतु ERO/AERO/DEO/DYEO को डाटा प्रविष्टि हेतु समुचित एवं पर्याप्त संसाधन (मानव एवं तकनीकी) फर्म द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जाएगा।
29. सर्विस प्रोवाईडर/वेंडर को जिला से बाहर डाटा को ले जाकर कार्य करने का अनुमति अनुमान्य नहीं होगा।
30. निविदादाता को निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित करना होगा। अन्यथा उनपर कानूनी कार्रवाई की जायगी।
31. ERO/AERO स्तर पर डाटा प्रविष्टि हेतु समुचित एवं पर्याप्त संसाधन (मानव एवं तकनीकी) सर्विस प्रोवाईडर/वेंडर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
32. प्रत्येक स्तर पर कार्य सरकारी अभिरक्षा में इस हेतु निर्धारित स्थान पर ही किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्धारित स्थल/भवन चिन्हित किया जायेगा।
33. सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उन्हें कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सभी आवेदनों को क्रमवार सुरक्षित रूप से ERO/AERO को कार्य के पश्चात वापस किया जायेगा।
34. सर्विस प्रोवाईडर/वेंडर द्वारा उन्हें सौंपे गये सभी कार्यों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखी जायेगी। नियमानुसार सही-सही कार्य किया जायेगा, उन्हें उपलब्ध सूचनाओं एवं उस पर

आधारित आंकड़ों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस आशय का Untertaking देना होगा। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

35. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन संबंधी डाटा के सुरक्षा हेतु Cyber Security Regulation के तहत सेवा प्रदाता (वेंडर) को Non-discloser Agreement विहित प्रपत्र में करना होगा।
36. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार कार्य का स्वरूप/प्रकृति एवं प्रक्रिया के समय-समय पर परिवर्त्तन के आलोक में संबंधित सर्विस प्रोवाईडर/वेंडर द्वारा तद्नुसार भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार/जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी के अद्यतन निदेशों के आलोक में कार्य किया जायेगा।

(ख) **वित्तीय निविदा की शर्त्ते :-**

1. तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाता फर्म की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा में फोटो निर्वाचक सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र (Annexure-2) में देना होगा।
3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए ₹1000/- (एक हजार) रू0 प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि एवं बैंक गारंटी राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
5. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तो/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
6. निविदा के दौरान कई जिलों में निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर काफी कम दिये जाने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होने की समस्या रहती है। विगत वर्ष से इस प्रकार की कठिनाई परिलक्षित हो रही है। जिला क्रय एवं दर निर्धारण समिति विगत वर्षो के प्रमंडल या आस-पास के जिलों में निर्धारित दर (औसत) बाजार सर्वेक्षण दर के आधार पर किसी अवयवों के लिए अंकित दर से काफी कम होने की स्थिति में उक्त सामग्री का दर तथ्यहीन या अमान्य करने के लिए निर्णय लिये जाने हेतु स्वतंत्र होगी। उसी तरह से यदि न्यूनतम दर बाजार दर से अधिक हो तो बाजार दर से अधिक मान्य नहीं होगा।

(ग) **निविदा की सामान्य शर्त्ते :-**

1. कार्यालय द्वारा निविदा पत्र/शर्ते के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र (Annexure-1 & Annexure-2) में ही दिया गया निविदा मान्य हागा। अन्य प्रपत्रों में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा (प्रत्येक लिफाफा सीलबंद) अलग-अलग होना आवश्यक है तथा इन दोनों लिफाफा को एक बड़ी लिफाफा में डालकर सीलबंद कर जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर में जमा करना होगा, जो निविदा ऐसा नहीं होगा मान्य नहीं होगा।
2. फोटो निर्वाचन सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जायेगा। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण या बिना हस्ताक्षर एवं मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा में बिना कारण बताये संशोधन करने, स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. किसी विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, मुंगेर का निर्णय अंतिम होगा।
6. कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुए न्यूनतम दर पर कार्य वितरण एक से अधिक निविदादाता के बीच किया जा सकता है।

7. सभी कार्य ERO Net पर ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा। चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, मुंगेर के दिशा-निर्देश के आलोक में एकरारनामा करते हुए कार्य करना होगा।
8. चयनित वेंडर द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई Earnest Money बैंक गारंटी राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसी दर एवं विशिष्टयों पर दूसरे फर्म को कार्य हस्तांतरित कर दिया जायेगा।
9. निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात निविदा जमा करते वक्त संलग्न रहना चाहिए। बाद में जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
10. चयनित वेंडर को किसी प्रकार का मार्ग व्यय/हथालन देय नहीं होगा।
11. निविदादाता द्वारा समर्पित सभी कागजात पृष्ठांकित एवं स्वहस्ताक्षरित होंगे।
12. निविदादाता निविदा खोले जाने के समय स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उचित फोटोयुक्त पहचान-पत्र एवं प्राधिकार पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं।
13. किसी तरह का विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, मुंगेर में होगा।
14. आवश्यकतानुसार कार्यादेश का अवधि विस्तार एक/तीन साल के लिए किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला वेबसाईट http://munger.nic.in अथवा http://prdbihar.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।
15. चयनित फर्म को कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व निविदा में जमा किया गया GST, आयकर की अभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
16. कार्य समाप्ति के पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सभी डाटा अपने कम्प्यूटर से उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के देख-रेख में हटाना होगा।

26/08/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।